न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।

उपस्थितः राकेश पाण्डेय, {एच0जे0एस0}

(जे०ओ० कोडः–UP 2397)

UPST010077842023

एफ०आर०नं 216/2023

सुकना देवी——————बनाम——————राजमणि यादव आदि,

31.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 675/2013, अन्तर्गत धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत दर्ज की गयी। विवेचना की कार्यवाही की दौरान विवेचक द्वारा तमामी विवेचना बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर नामित अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। वादिनी को नोटिस तामील किया गया, किंतु सूचना प्राप्त हुई कि वादिनी मुकदमा सुकना देवी पत्नी रामसुख उर्फ सुक्खू मौके पर नहीं रहती हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति के संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है। उक्त अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 07.01.2014 से लंबित है। वादिनी की ओर से उक्त अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध कोई प्रोटेस्ट प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही आपत्ति दाखिल करने हेतु उनका अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तुत मामले की कार्यवाही जारी रखने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है। अतः अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या 01/2014 स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-
(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट,
सुलतानपुर।
JO Code UP 2397